उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-25/2004-05

मसो0 सरयू देवी

बनाम्

शबनम निशा वगैरह

-: आदेश :-

10.03.21

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मो0 सरयू देवी पति-स्व0 गोपी मंडल उर्फ गोपी प्र0 यादव वो पवन कुमार यादव पे0-स्व0 गोपी मंडल उर्फ गोपी प्र0 यादव सा0-मलडीहा (गायत्री नगर) नहर चौक, गोड्डा थाना-गोड्डा नगर जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस नं0-145/01-02 के आदेश दिनांक-27.07.2004 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केस नं0-145/01-02 के आदेश दिनांक-27.07.04 के द्वारा मौजा-मलडीहा के जमाबंदी सं0-39 दाग नं0-107 रकवा 00-02-05 धुर जमीन से अपीलकर्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्ता का आवेदन है कि मौजा-मलडीहा के जमाबंदी सं0-39 दाग नं0-107 रकवा 00-02-05 धुर जमीन जमाबंदी रैयत इदन मियाँ ने दिनांक-14.01.1935 ई0 को कुर्फानामा के द्वारा अपीलकर्ता के पिता उमादी मांझी को बंदोबस्त किया था। कुर्फानामा से बंदोबस्त प्राप्त करने बाद उमादी मांझी उस जमीन पर हकदार एवं दखलकार हुए और उस पर मकान बनाकर सपरिवार निवास करने लगे। कालान्तर में पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त जमीन अपीलकर्ता को हिस्से में प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता उस जमीन पर अपने पति गोपी मंडल उर्फ गोपी प्र0 यादव एवं बच्चों के साथ रहने लगी एवं होल्डिंग टैक्स लगान एवं बिजली शुल्क का भुगतान लगातार करती आ रही है। गंभीर बिमारी से ग्रसित होने के कारण उनके पति गोपी मंडल उर्फ गोपी प्रसाद यादव दर्भांगर अस्पताल में भर्ती होकर इलाजरत थे। वहीं पर उनका निधन दिनांक-07.06.04 हो गया था। उसके बाद अपीलकर्ता को पता कि उनके पति के विरूद्ध मौजा मलडीहा के जमाबंदी

सं0–39 दाग नं0–107 रकवा 00–02–05 धुर जमीन से उच्छेद करने के लिए आर0ई0आर0 केश नं0–145/01–02 दायर किया था। साथ ही साथ एक अन्य शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध भी उसी जमाबंदी के दाग नं0–245 की जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन दिया गया था। पता चला कि शैलेन्द्र कुमार के विरूद्ध लाया गया उच्छेदी प्रक्रिया को समाप्त किया गया एवं अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लाया उच्छेदी वाद में आदेश पारित कर अपीलकर्त्ता के पति को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया। जबकि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता की जमीन है। पारिवारिक व्यवस्था के तहत अपीलकर्त्ता को हिस्से में प्राप्त हुआ है एवं उसपर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ है तथा वे उसपर सपरिवार निवास कर रहें हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना का निर्णय जो बी0एल0जे0 2000(3) में दर्ज है, के अनुसार भी मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

कई तिथियों से उत्तरवादीगण लगातार अनुपस्थित रह रहे थे। इसलिए उत्तरवादी को अंतिम नोटिस किया गया। नोटिस तामिला के बाद भी वे लोग न्यायालय में अपने पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादीगण का वर्तमान अपील वाद में अभिरूचि नहीं रह गया। अपीलकर्त्ता द्वारा लाया गया तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का आवासीय मकान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–145/2001–02 के आदेश दिनांक–27.04.2004 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:45:07 +05:30
Location: 192.168.29.32

उपायुक्त,
गोड्डा।

10.07.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

[illegible]